कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल
संख्या 2070–वै.स./वनौषधि दिनांक देहरादून मई 26, 2001
सेवा में,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक।
2. समस्त वन संरक्षक।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरांचल।

विषय :– दिनांक 9 व 10 मई 2001 की प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न जड़ी बूटी की बैठक की कार्यवृत।

महोदय,

दिनांक 9 व 10 मई 2001 को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में जड़ी बूटी की मेषज संबधों की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत शासन की पत्र संख्या 826 दिनांक 14.5.2001 से प्राप्त हुये है। इस कार्यवृत की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतू संलग्न की जा रही है।

संलग्नः उक्त प्रकार।

भवदीय,

निर्मल कुमार जोशी
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तरांचल।

दिनांक 09 एवं 10 मई को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन ग्राम्य विकास विभाग उत्तरांचल की अध्यक्षता में जड़ी–बूटी की भेषज संघों की आहुत बैठक का कार्यवृत्त एवं सम्बन्धित आदेश।

उपस्थिति

अध्यक्ष

1. **डा0 आर.एस.टोलिया,**
   प्रमुख सचिव व आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
2. **श्री एन. के. जोशी,** प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल।
3. **डा0 एस. एस. मिश्रा,** प्रमुख भेषज विशेषज्ञ, उत्तरांचल।
4. **श्री कुशलानन्द सेमवाल,** भेषज संघ चमोली।
5. **श्री विमल कुमार,** जड़ी बूटी पर्यवेक्षक, भेषज संघ देहरादून।
6. **श्री आर. के. भारती** (जड़ी बूटी पर्यवेक्षक) भेषज संघ देहरादून।
7. **श्री संजय कुमार,** जड़ी बूटी पर्यवेक्षक/सचिव, भेषज संघ अल्मोड़ा।
8. **श्री सुरेश चन्द्र वर्मा,** सचिव, भेषज संघ पिथौरागढ़।
9. **श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय,** सचिव भेषज संघ भवाली (नैनीताल)।
10. **श्री ओमकार सिंह,** सचिव, भेषज संघ, टिहरी, मुनि की रेती/ सचिव जिला भेषज एवं सहकारी विकास संघ, मुनी की रेती, (टिहरी गढ़वाल)।
11. **श्री दीवान सिंह धपोला,** अध्यक्ष, भेषज सहकारी संघ, अल्मोड़ा।
12. **श्री राजेश शर्मा,** अध्यक्ष, भेषज सहकारी संघ, देहरादून।

(1) बैठक में भेषज संघों की भेषज व्यवसाय पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि भेषज संघों को मात्र जड़ी–बूटी संग्रह–विक्रय ही नहीं करना है अपितु जड़ी–बूटी से सम्बन्धित उद्योग/कृषि विस्तार आदि कार्यों से भी जनता को लाभान्वित करना है।

(2) संग्रहण व्यवसाय से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा में ये ध्यान आकृष्ट किया गया कि सीधी खरीद प्रणाली में व्यवसाय कम है, जबकि कमीशन प्रणाली पर व्यवसाय ज्यादा है। भेषज संघ सचिव, पिथौड़ागढ़ द्वारा यह सुझाव दिया गया कि आडिट में टैक्निकल कठिनाइयों को विचार में नहीं लिया जाता जिस कारण सीधी खरीद प्रभावित होती है। इसके निस्तारण पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया, सीधी खरीद प्रक्रिया में समर्थन मूल्य का कोई आधार नहीं रहेगा अपितु जिन जिन्सों को भेषज संघ लाभकारी पायेगा वही जिन्स को खरीदकर व्यवसाय करेगा अन्य नहीं, यह उसकी बाध्यता नहीं होगी। अन्य जिन्स जिसे भेषज नहीं खरीदेगा वह संग्रहण कर्ता को पूर्व की भांति निकासी देते रहेंगे, परन्तु क्रय की गई जड़ी–बूटी भेषज संघों द्वारा कच्चे रूप में विक्रय नहीं की जायेगी और उसका सेमी प्रोसेसिंग या फाइनल प्रोसेसिंग करके ही विक्रय किया जायेगा। अतः भेषज संघ औद्योगिक इकाईयों का प्रस्ताव तुरन्त प्रस्तुत कर कार्यवाही में लें।

(3) भेषज संघ कृषि विस्तार की प्रथम कार्यवाही में वन पंचायतों का चयन कर उनसे आपसी सहमत पत्र (एम.ओ. यू.) तैयार कर लें तथा किसी एक में नर्सरी डालकर प्लाटिंग मैटीरियल तैयार करें तथा जिनका प्लाटिंग मैटीरियल उपलब्ध कराते हुए खरीद समझौता (बाई–बैक) के लिए सहमति अनुबन्ध करेंगे। भेषज संघ उद्यान विभाग की नर्सरियों में से भी अपने उपयोग के फार्म लेकर कृषि/आरोपण कार्य कर सकते हैं, उन्हें ये फार्म दिया जायेगा। भेषज संघ को इसके लिए सैन्चुरी पेपर मिल द्वारा लिए जा रहे एम.ओ.यू. का प्रोफार्मा उदाहरण हेतु दिया गया।

(4) उद्योग के सम्बन्ध में यह तय किया गया कि मुख्य प्रजातियां जिन पर उद्योग लगाना संभव है उनसे सम्बन्धित उद्योग तकनीकी और उत्पादों के लिए भेषज संघ को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण दिलाया जाय तथा उन्हें सम्बन्धित संस्थाओं का भ्रमण भी कराया जाय, भेषज संघ सविदा पर ऐसे कार्यों के लिए आवश्यक स्टाफ रखकर भी उक्त कार्य कर सकते हैं।

(5) भेषज संघ संग्रहणकर्ताओं का पहचान पत्र बनायेंगे और पंजिका में उनका विवरण हस्ताक्षर व अंगूठा निशान सहित दर्ज होगा कि किस क्षेत्र से कौन सी प्रजाति कितनी मात्रा में, किस तिथि माह में कितने मूल्य की एकत्रित की गई और किसे माल बेचा गया। यह पहचान पत्र बनाना आवश्यक है ताकि भेषज संघों के माध्यम से ठेकेदारी और कमीशन प्रणाली का कारोबार तुरन्त बन्द हो।

(6) भेषज संघ बोर्ड का कार्य व्यवसाय में लाभ–हानि की समीक्षा तक ही रहे। व्यवसाय को लाभपरक स्थिति में लाने हेतु भेषज संघ सचिव को यह पूरा अधिकार रहेगा कि वह आवश्यक मूल्य उतार चढ़ाव के अनुसार प्रजातियों का क्रय–विक्रय करने में स्वतंत्र हो और उसे किसी का मुखापेक्षी न बनना पड़े।

(7) विधिक प्रक्रियाओं में वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि काश्तकारों के पंजीकरण संग्रहण की निकासी आदि का कार्य और सरलीकृत करके वन क्षे0 भ0जि0 अधिकारी को करते हुए शासनादेश जारी किया जा रहा है। वन कर्मियों को जड़ी–बूटी तकनीकी प्रशिक्षण स्तर वार प्रशिक्षण कैपसूल बनाकर व्यय आकलन सहित प्रमुख भेषज विशेषज्ञ प्रस्तुत करेंगे। वन विभाग को ट्रेनिंग देने का कार्य भेषज विशेषज्ञ व निदेशक जड़ी–बूटी शोध संस्थान द्वारा किया जाएगा तथा स्थान और धनराशि की व्यवस्था वन विभाग द्वारा की जायेगी।

(8) निर्णय :–

8.1 संग्रहण व्यवसाय –

(अ) संग्रहणकर्ताओं को परिचय पत्र जारी किया जायेगा। यह कार्य भेषज संघ एक माह में करके सूचना भेजें।

(ब) सीधी खरीद का कार्य भी भेषज संघ करेंगे और उन्हीं प्रजातियों को खरीदेंगे जिनकी औद्योगिक प्रक्रिया की जानी है। अन्य का व्यवसाय कार्य पूर्ववत् रहेगा। समर्थन मूल्य को व्यवसाय का आधार मानकर बाजार के उतार–चढ़ाव के अनुसार दर निर्धारण करेंगे। शासन स्तर से निर्धारित दर केवल वन राजस्व के निर्धारण हेतु न्यूनतम क्रय दर के रूप में ही रहेगा।

(स) ऑडिट आपत्तियों में तकनीकी बिन्दुओं का निराकरण प्रमुख भेषज विशेषज्ञ स्तर से किया जाएगा और इसके लिए गाइड लाइन प्रसारित की जायेगी।

8.2 उद्योग स्थापना–

चयनित प्रजाति– रीठा, तेजपात, झूला, बच, अदरक, कपूर कचरी, समेवा, तिमूर, आंवला, बड़ी इलायची, लेमन ग्रास, पामारोजा, जिरेनियम, तुलसी।

उक्त प्रजातियों का कृषि विस्तार/वनीकरण/संग्रहण–व्यवसाय को भेषज संघ कार्यवाही में लेगे।

उद्योग इकाई – सुगन्ध हेतु	आसवन इकाई
चूर्णीकरण हेतु	डीसेन्ट्रीगेटिंग एण्ड ग्राइडिंग
सत्वीकरण	आसवन इकाई

उपरोक्त के लिए निम्नोक्त संस्थाओं से वार्ता कर भेषज संघों को प्रशिक्षित करने व भ्रमण कराने का कार्य किया जायेगा।

(अ) फ्रैगनेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलेपमेन्ट सेन्टर, भारत सरकार, इण्डस्ट्रियल स्टेट मकरन्द नगर, कन्नौज।
(ब) सीमैप, कुकरैल बाग, लखनऊ।
(स) प्लान्टिस, भवाली।
(द) डाबर रिसर्च फाउन्डेशन, गाजियाबाद।

उपरोक्त संस्थाओं के साथ मिटिंग आयोजित कर प्रजातियों की उपलब्ध मात्रा के अनुसार औद्योगिक इकाई का प्लान बनाकर N.C.D.C./N.H.B/K.V.I.C./ से भेषज संघों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। यह कार्यवाही प्रमुख भेषज विशेषज्ञों द्वारा सम्पन्न कराते हुए प्रोसेसिंग यूनिट का प्रस्ताव एक माह में शासन में प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

8.3 भेषज संघों हेतु एक्शन प्लान–

कार्य वृत्त प्रसारित होने से एक माह में भेषज संघ निम्न लिखित के लिए कार्यवाही एक्शन प्लान में प्रारम्भ करेंगे–

(अ) एक माह में निकटस्थ 10 वन पंचायतों का चयन कर उनसे समझौता कर लेंगे।

(ब) वर्षा ऋतु के माह जुलाई–अगस्त तक उपलब्ध प्रजातियों के कृषि/वनीकरण हेतु प्रत्येक भेषज संघ 50,000 की दर से पांच वर्षों में आच्छादन कार्य करते हुए 6 लाख पौधों का आरोपण/कृषि कार्य करेंगे।

(स) प्रत्येक भेषज संघ जिन पौधों के प्लाण्टिंग मैटीरियल उपलब्ध करा सकता है उसकी सूची प्रत्येक भेषज संघ को दर सहित प्रसारित करेंगे।

9. प्लाण्टिंग मैटीरियल की आपूर्ति में प्रमुख भेषज विशेषज्ञ कार्यालय व जड़ी–बूटी शोध संस्थान आवश्यक सहयोग देंगे और उनकी न्यूनतम दर तय कर देंगे।

10. इस कृषि विस्तार कार्य हेतु खेत की तैयारी, नर्सरी उत्पादन, आपूर्ति और आरोपण तथा प्रशिक्षण का वित्तीय प्रस्ताव भेषज संघ बनाकर शासन को देंगे ताकि उन्हें उक्त हेतु N.H.B./नाबार्ड से धनराशि दिलाई जा सके। यह धनराशि स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जिला योजना से भी प्रस्तावित की जाएगी।

11. वन पंचायतों से खरीद का सहमति अनुबन्ध भेषज संघ सचिवों द्वारा किया जायेगा।

12. उद्योग इकाइयों का वित्तीय प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रस्तुत करेंगे ताकि उन्हें N.C.D.C./K.V.I.C से आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कराई जा सके।

13. बिन्दु (1), (3), (4), (5), (6), (7) पर कार्यवाही एक माह के अन्दर कर लिया जाना है।

14 निजी काश्तकारी विस्तार हेतु भेषज संघ कोई 2 या 3 प्रजातियों का ही चयन कर विशेष क्षेत्र का वर्धन करेंगे और वहां की खेती को प्रोत्साहन देंगे ताकि उस क्षेत्र से व्यवसायिक मात्रा का संग्रहण हो सके डाबर द्वारा जारी होने वाली सूची/प्रमुख भेषज विशेषज्ञ द्वारा जारी सूची या जड़ी–बूटी शोध संस्थान द्वारा जारी सूची जिनका एग्रोटेक्निक प्लाटिंग मैटीरियल व बाई बैक उनके द्वारा तय किया होगा, का प्रयोग कर सकते है। काश्तकारी विस्तार हेतु जो काश्तकार स्वयं ही समर्थ होकर कृषि करना चाहते हैं उन्हें सहयोग बढ़ाया जाए तथा ऋण अनुदान की प्रक्रिया को क्रमशः न्यून करते हुए ऋण अनुदान का लक्ष्य और बाध्यता न रखी जाय।

उपरोक्त एक्शन प्लान भेषज संघों के लिए निर्धारित करते हुए आदेश निर्गत किये जा रहे है।

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव
आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन देहरादून।

प्रतिलिपि :–

1– समस्त सचिव, सहकारी भेषज क्रय – विक्रय संघ जनपद अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/चम्पावत/नैनीताल/चमोली/देहरादून/पौड़ी/टिहरी/उत्तरकाशी/बागेश्वर।

2– अध्यक्ष/प्रशासन समस्त भेषज संघ, उत्तरांचल।

3– समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तरांचल।

4– अपर निबन्धक, उत्तरांचल अल्मोड़ा को इस आशय से कि भेषज संघ से संबंध जड़ी–बूटी कर्मचारियों को उक्त कार्य सम्पादन का लक्ष्य निर्धारित करें।

5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल इस आशय से कि वे वन पंचायत अधिकारी का निर्देशित कर भेषज संघों और चयनित वन पंचायतों में सहमति अनुबन्ध पूरा करने का दायित्व सौंपे।

6– निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल।

7– प्रमुख भेषज विशेषज्ञ रानीखेत एवं निदेशक जड़ी–बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8– निदेशक, डाबर रिसर्च फाउन्डेशन, गाजियाबाद को इस आशय के साथ कि प्रजातियों की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9– निदेशक (क) निदेशक, फ्रैगनेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमैन्ट सेन्टर भारत सरकार, इण्डस्ट्रियल स्टेट, मकरन्द नगर कन्नौज।

(ख) निदेशक, सीमैप कुकरैल बाग, लखनऊ।

(ग) निदेशक, प्लाण्टिस कैंची (भवाली) नैनीताल।

10— प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून।

(डा० आर० एस० टोलिया)
प्रमुख सचिव
आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन, देहरादून